

फर्द अहकॉम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर
पीठासीन अधिकारी :- श्री नानूराम सैनी आर.ए.एस.

वादी बनाम प्रतिवादीगण

- फोटो खां पुत्र सच्चू खां, जाति- मुसलमान नि० अगासडी, तह० गडरारोड़ जिला बाडमेर
- सच्चू खां पुत्र काबल खां,
- हाकम खां पुत्र सच्चू खां
- रुमानी पुत्री सच्चू खां, 4. धापू पुत्री सच्चू खां जाति- मुसलमान, नि० अगासडी, तह० गडरारोड़ आबास खान पुत्र खुदा बक्स जाति- मुसलमान, नि० कपुरडी, तह० शिव, 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़

मुकदमा नम्बर :- /2018

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 आर. टी. एक्ट

दिनांक	हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
23.01.19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट ने यह प्रार्थना पत्र /वाद/अपील धारा 188, 88 आर.टी.एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम /भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी/ रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 24.01.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), शिव</p>	
24/1/19	<p>वादी/प्रार्थी/अपीलोट बकील उप.। प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्ट के बकील उप.। शेष के सम्मन/नोटिस जारी होकर पत्रावली आईन्दा को पेश हो -</p> <p style="text-align: right;">23/1/19</p>	
25/1/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त है। अतः इतना होकर पत्रावली आईन्दा वास्ते अन्तिम कार्यवाही दि. 12/1/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">/ सहायक कलक्टर (SDO) शिव</p>	
12/1/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके वकील में से कोई एक नहीं। आज अदालत अग्रम में शक-रक करतीन वार शकजे दिलवाये जसे के आवजूद</p>	

वाक ले. 15/19 कोटा खां / सच्यु खां

वादी एवं उनके वकील में से किसी के
उपस्थित नहीं होने पर आवेदन अर्जित आवेदन
उ नियम 2 व आवेदन उ नियम 3 CPC के तहत
कम हाजरी एवं कम पेशी में स्वारिज
किया जाता है।

फावली मैजल अथर शेकर वारिबल दफ्तर ही


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

